एफ सं. 11-78/2013-स्कूल-5

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

(स्कूल-5 अनुभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

अधिसूचना

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आईसीटी @ स्कूल योजना वर्ष 2004-05 में शुरू तथा दिसम्बर, 2010 में संशाधित की गई थी तथा हाल ही में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की समावेशी योजना में समायोजित की गई है। स्कूलों में आईसीटी के उपयोग का अवसर उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा (2012) के लिए आईसीटी की राष्ट्रीय नीति विकसित की है।

2. स्कूल प्रणाली में आईसीटी को शामिल करने के लिए अधिक महत्व, विशेष रूप से शिक्षा में मिशन मोड परियोजना के मद्देनजर तथा शिक्षा में आईसीटी के सभी पहलूओं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन के लिए एतद्द्वारा स्कूल शिक्षा में आईसीटी पर एतद्द्वारा तत्काल राष्ट्रीय स्रोत समूह का निम्नानुसार गठन किया जाता है:

1	सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2	निदेशक, एनसीईआरटी	सदस्य
3	उपकुलपति, एनयूपीईए	सदस्य
4	अतिरिक्त सचिव एस ई (प्राथमिक शिक्षा), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
5	अतिरिक्त सचिव ई ई (शिक्षक शिक्षा), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
6	संयुक्त सचिव, एस ई-1, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, शिक्षण सहायक प्रौद्योगिकी, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
8	संयुक्त सचिव, एस ई-2 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
9	संयुक्त सचिव, डीआईटी	सदस्य
10	महानिदेशक, ई आर एन ई टी या नामित	सदस्य

11	महानिदेशक, सीडीएसी या नामित	सदस्य
12	महानिदेशक, एनआईसी या नामित	सदस्य
13	अध्यक्ष, सीबीएसई	सदस्य
14	अध्यक्ष, एनआईओएस	सदस्य
15	आयुक्त, केवीएस	सदस्य
16	आयुक्त, एनवीएस	सदस्य
17	अध्यक्ष, एनसीटीई	सदस्य
18	*प्रधान सचिव, शिक्षा, कर्नाटक	सदस्य
19	*प्रधान सचिव, शिक्षा, केरल	सदस्य
20	*प्रधान सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
21	एक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि	सदस्य
22	एक पूर्वोत्तर राज्य के प्रतिनिधि	सदस्य
23	डा. डी.बी पाठक, आईआईटी मुम्बई, एनएमईआईसीई	सदस्य
24	डा. जी नागर्जुन, एचबीसीएसई, टीआईएफआर, मुम्बई (मेटास्टूडियो)	सदस्य
25	श्री जी गुरूमुर्ति, आईटी फॉर चेंज	सदस्य
26	डा. सावित्री सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय (क्रिएटिव कॉमन)	सदस्य
27	श्री आर श्रीधर, एज्यूकेशन इनिशिटिव	सदस्य
28	श्री एस. आनंद, ग्रेमनर (डाटा एनालिसटिक्स)	सदस्य
29	श्री गिरीश श्रीवास्तव, एनएएसएससीओएम, (परियोजना परिबंधन)	सदस्य
30	श्री रघुरमन, अमृत विश्व विद्यापीठ विश्वविद्यालय (वर्चुअल प्रयोगशालाएं)	सदस्य
31	प्रो. जितेन्द्र शाह, आईआईटी मुम्बई (जीआईएस)	सदस्य
32	निदेशक, एसएसए (सीएएल प्रभारी)	सदस्य
33	निदेशक/उपसचिव (टीई)	सदस्य
34	निदेशक, आरएमएसए और आईसीटी, डीएसई एंड एल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
35	परामर्शदाता, आईसीटी आरएमएसए-टीएसजी	सदस्य
36	संयुक्त निदेशक, सीआईईटी, एनसीईआरटी (एनआरओईआर और आईसीटी पाठ्यक्रम) (जेडी, सीआईईटी, एनसीईआरटी की अनुपस्थिति में निदेशक, आरएमएसए और आईसीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सदस्य संयोजक होंगे)	सदस्य संयोजक

• जिन राज्यों/संघ क्षेत्रों ने आईसीटी के उपयोग में सफलता दर्शाई है, उन्हें विशेष आमंत्रितों के रूप में बैठक में आमंत्रित किया जाए।

3. एनआरजी के विचारार्थ विषय होंगे:

i) राष्ट्र की शिक्षा नीति के अनुरूप आईसीटी के समुचित उपयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परामर्श।

ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल प्रणाल में उपलब्ध साधन और नई आईसीटी प्रौद्योगिकी अर्थात: शिक्षक और शिक्षा प्रशासन को कार्यनीति पर परामर्श देना।

iii) राज्यों में कार्यान्वयन की निगरानी मूल्यांकन और मार्गदर्शन की कार्यनीति की सिफारिश करना।

iv) मुक्त शिक्षा-संसाधन के राष्ट्रीय कोष के विकास और प्रबंधन को सहयोगी मंच पर लाने के लिए सभी सार्वजनिक एजेंसियों, शिक्षा का सभी सार्वजनिक एजेंसियों, शिक्षा समूह और वैयक्तिकों को शामिल कर सहयोगी मंच पर लाने के लिए मार्गदर्शन करना।

v) व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया और स्कूलों में आईसीटी के पाठ्यक्रम सहित आईसीटी की स्थापना और उपयोग में स्कूल प्रणाली के पदाधिकारियों का सहायता के लिए मार्गदर्शन करना।

vi) स्कूल की भिन्न स्थितियों, विशेषरूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, उपयुक्त हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी के उपयोग पर अध्ययन या सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समूह की स्थापना पर मार्गदर्शन करना।

vii) आरएमएसए के तहत माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता दखल/आईसीटी घटक के लिए निगरानी अनुदेश द्वारा प्रदत्त निगरानी/मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा।

viii) संस्थाओं और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना।

4. क्रम सं. 18-31 के सदस्यों की सदस्यता दो वर्ष की अवधि या उनके स्थान पर किसी नए सदस्य को नामित किए जाने तक, जो भी बाद में हो, के लिए होगी।

5. जब भी आवश्यक होगा एनआरजी विचारार्थ विषयों का विस्तार किया जा सकता है। एनआरजी निर्धारित कार्य या विशिष्ट मुद्दों के समाधान पर उप-समिति के गठन के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।

6. एनआरजी की प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक होगी।

7. एनआरजी को सचिवालयी सहायता एनसीईआरटी (सीआईईटी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

8. एनआरजी जैसा उपर्युक्त विशिष्ट समझे मामलों के निपटान के लिए ऐसे उप-समूहों का गठन कर सकता है।

(कैरालिन खोंगवर देशमुख)
निदेशक (आरएमएसए/आईसीटी)

प्रति

1. एनआरजी के सभी सदस्य।
2. सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

प्रतिलिपि:

1. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री के निजी सचिव।
3. सभी सचिव (माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी)।
4. राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन आईसीटी योजना के सभी राज्य परियोजना निदेशक।
5. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में माध्यमिक शिक्षा ब्यूरो के सभी प्रभाग प्रमुख।
6. सभी परामर्शदाता, टीएसजी, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, 6 विजय बिल्डिंग, 17-बी, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001।
7. प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद।

(कैरालिन खोंगवर देशमुख)
निदेशक (आरएमएसए/आईसीटी)